भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2471

बुधवार, 21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

एक जिला एक उत्पाद केन्द्र और जिला निर्यात केन्द्र

2471. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री दिलीप शइकिया:
श्री अरूण साव:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

)क(क्या भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार 'एक जिला एक उत्पाद केन्द्र')ओडीओपी (और जिला निर्यात केन्द्रों से होने वाले निर्यात में लगभग चार गुना की वृद्धि हुई है और यदि हां ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) विदेशी बाजारों में किसानों और लघु उद्योगों को निर्यात के अवसर प्रदान करने के लिए ओडीओपी और जिला निर्यात केन्द्रों के अंतर्गत उत्पादों की ब्रांडिंग, विपणन और भंडारण तथा बुनियादी अवसंरचनाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा कितना अनुदान प्रदान किया गया है; और

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों, विशेषकर असम और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलों में तथा महाराष्ट्र में विशेषकर लातूर, सतारा और सोलापुर जिलों में ओडीओपी के अंतर्गत किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): भारतीय स्टेट बैंक के दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के शोध पत्र "ईसीओडब्ल्यूआरएपी" के अनुसार, वित्त वर्ष 20 में ओडीओपी-डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब की शुरुआत के साथ, लगभग सभी राज्यों के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:-
https://sbi.co.in/documents/13958/25272736/101022 Ecowrap_20221010.pdf/1084115d-25d0-97ef-128b-c166d8a071d9?t = 1665384841424

(ख) और (ग): एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम बनाते हुए देश के जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके उन्हें एक विनिर्माण और निर्यात हब में परिवर्तित करना है। जिलों में निर्यात वृद्धि से संबंधित सहायता प्रदान करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और ज़िला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। इन सभी कदमों का उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब के भाग के रूप में ओडीओपी की निर्यात संभावना को बढ़ाना है।

जिला निर्यात कार्य योजनाओं में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और अपेक्षित निर्यात गुणवत्ता

वाले स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं की सहायता हेतु अपेक्षित विशिष्ट कार्य शामिल हैं। इनमें चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना, ब्रांडिंग और सहायता के माध्यम से बाजार पहुंच शामिल हैं।

(असम, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब की स्थिति का उल्लेख अनुबंध-I में किया गया है)।

असम, छत्तीसगढ और महाराष्ट्र सहित 'डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब' पहल के तहत पहचाने गए उत्पादों की राज्य-वार/जिला-वार सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: -

https://exporthubs.gov.in/resources/images/pdf/Final%20Product%20List.pdf

*****

अनुबंध।

दिनांक 21.12.2022 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2471 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	**राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश (जिलों की संख्या)**	**राज्य निर्यात संवर्धन समिति (36)**	**जिला निर्यात संवर्धन समिति (36)**	**डीईपीसी बैठकें (681)**	**बनाई गईं मसौदा निर्यात कार्य योजनाएं (570)**	**नोडल अधिकारी (34)**	**राज्य निर्यात रणनीति (28)**
1.	असम (33)	हाँ	हाँ	सिवसागर को छोड़कर सभी जिले (32)	बिश्वनाथ, धुबरी, दीमाहासा, हैलाकंडी, कामरूप मैट्रो, करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, नलबारी, मनकाछर, जोरहाट, तिनसुकिया, दरांग (13)	हाँ	हाँ
2.	छत्तीसगढ़ (28)	हाँ	हाँ	कांकर, कोरबा, नारायणपुर को छोड़कर सभी जिले (25)	बस्तर, सरगुजा को छोड़कर सभी जिले (26)	हाँ	हाँ
3.	महाराष्ट्र (36)	हाँ	हाँ	पुणे, सांगली को छोड़कर सभी जिले (34)	सभी जिले (36)	हाँ	हाँ

*****